वित्त निर्देश 13/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 744/वित्त/ब-4/2011 रायपुर, दिनांक 26.04.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- **विभागों को आबंटित बजट का समयबद्ध उपयोग करने के लिये प्रशासकीय विभागों द्वारा कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही करने के संबंध में ।**

वित्त विभाग का यह अनुभव रहा है कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही विभागों को बजट आबंटन संसूचित किए जाने के बावजूद प्रशासकीय विभागों के स्तर से उनके अधीन कार्यरत् विभागाध्यक्षों, जो बजट नियत्रंण अधिकारी भी है, को एवं विभागाध्यक्षों के स्तर से मैदानी कार्यालयों को आबंटन जारी करने में विलंब होता है । यह भी देखने में आता है कि अधिकांश विभागों द्वारा उपलब्ध बजट प्रावधान के समुचित एवं समयबद्ध उपयोग के लिए कोई कार्य योजना भी तैयार नही की जाती है, जिसके कारण वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की तुलना में काफी अधिक व्यय होता है । इसके अलावा पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव भी वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में प्रस्तुत किए जाते है, जिससे यह आभास होता है कि योजनाओं में बचत एवं आधिक्य का आकलन समय रहते नहीं किया गया । इस स्थिति में शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में प्रावधानित राशि का समय से उपयोग संभव नही हो

पाता ओर कई मामलों में राशि व्यपगत (Lapse) भी हो जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है ।

2. उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बजट में प्रावधानित राशि के समुचित एवं समयबद्ध उपयोग करने के उद्देश्य से निम्न निर्देश जारी किए जाते है :-

(क) प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग से आबंटन की संसूचना प्राप्त होने पर निर्धारित समयावधि में बजट आबंटन उनके अधिनस्थ विभागाध्यक्षों को आबंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) विभागाध्यक्षों द्वारा प्राप्त आबंटन को मैदानी कार्यालयों को अविलम्ब पुनरावंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(ग) बजट प्रावधान के समुचित उपयोग के लिए विभागों द्वारा निम्नानुसार समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही की जाए :-

(i) बजट में शामिल उन योजनाओं/मदों की पहचान की जाये जिनकी स्वीकृति के लिए विभागाध्यक्ष स्वयं सक्षम है । ऐसे प्रकरणों में विभागाध्यक्ष द्वारा यथासंभव दिनांक 15 मई तक स्वीकृति जारी की जाये ।

(ii) उन योजनाओं/मदों की पहचान की जाये, जिनकी स्वीकृति के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम है । विभागाध्यक्षों द्वारा ऐसे समस्त प्रकरण यथासंभव दिनांक 15 मई तक प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित कर दिये जाएँ तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा अपेक्षित स्वीकृति 30 मई तक जारी कर दी जाये ।

(iii) उन योजनाओं/मदों की पहचान की जाये जिन पर वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है । ऐसे प्रकरण सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात दिनांक 30 मई तक वित्त विभाग को अग्रेषित कर दिए जाएँ ।

(iv) बजट में शामिल नवीन मद के प्रस्ताव जैसे पदों का निर्माण, वाहन, नवीन योजना की स्वीकृति, कार्यालयीन उपकरण/फर्नीचर आदि के प्रस्ताव जिन पर वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है, सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात दिनांक 30 मई तक अनिवार्यत: वित्त विभाग को प्रेषित किए जाये ।

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (iii) एवं (iv) से संबंधित प्रकरण वित्त विभाग को भेजते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि वित्त निर्देश 09/2011 दिनांक 24.03.2011 में दिये निर्देश अनुसार संक्षेपिका व समस्त विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिये गये है, ताकि प्रकरण का निवर्तन वित्त विभाग द्वारा यथाशीघ्र किया जा सके । उक्त कार्यक्रम तालिका के रूप में **परिशिष्ट-I** पर भी संलग्न है ।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं की सम्पूर्ण राशि तथा केन्द्रीय प्रवर्तीत योजनाओं में केन्द्रांश की राशि भारत शासन से विमुक्त की जाती है । प्रत्येक कार्यालय में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है, अत: नियमित रूप से भारत शासन की संबंधित वेबसाइट पर राशि विमुक्त करने की स्वीकृतियों की स्थिति देखी जाय एवं स्वीकृति आदेश जारी होने पर वित्त विभाग से राशि प्राप्त होने की पुष्टि कराने के पश्चात राशि विमुक्त कराने की कार्यवाही की जाए ।

(च) वित्तीय वर्ष के प्रांरभ में ही विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध बजट प्रावधान के संदर्भ में यह देख लिया जाय की क्या किसी मद में पुनर्विनियोजन आवश्यक है । ऐसे प्रकरणों में पुनर्विनियोजन प्रस्ताव पर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से अविलम्ब प्राप्त की जाए ।

(छ) पूरे वित्तीय वर्ष में व्यय इस प्रकार नियमित किया जाए कि अंतिम तिमाही में व्यय का आधिक्य न हो और वर्ष में आहरित राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाएँ ।

3. वित्तीय वर्ष 2011-12 की बजट संसूचना वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 656/एल-6-5/2010/ब-4/चार दिनांक 01.04.2011 द्वारा जारी की गई है । अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों में उल्लेखित समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार बजट प्रावधान का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए । कृपया इन निर्देशो के

अनुसार कार्यवाही करने हेतु आपके अधीन कार्यरत समस्त विधागाध्यक्षों को भी समुचित रूप से निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- परिशिष्ट-I

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट-I

विभागों को आवंटित बजट के समयबद्ध उपयोग हेतु कार्यक्रम तालिका

क्रमांक	प्रकरण का स्वरूप	कार्यवाही हेतु अंतिम तिथि
1.	जिन योजनाओं/मदों अंतर्गत स्वीकृति हेतु विभागाध्यक्ष सक्षम है, स्वीकृति हेतु अंतिम तिथि	15 मई
2.	जिन योजनाओ/मदों की स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम है, उनमें :- (i) विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग को भेजने की अंतिम तिथि (ii) विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु अंतिम तिथि	 15 मई 30 मई
3.	जिन योजनाओं/मदों में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है, उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग को वित्त निर्देश क्रमांक 503/चार/ ब-4/2011 दिनांक 24.03.2011 के अनुसार भेजने की अंतिम तिथि	30 मई

पृ.क्रमांक 745/वित्त/ब-4/चार/2011, रायपुर,दिनांक 26 अप्रैल, 2011

<u>प्रतिलिपि:-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर ।
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग